7-10-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार बेगू जवाब प्रा-पत्र पेश करने का अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा-पत्र मे दिनांक 3-11-25 को पेश हो।
3-11-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब प्रा-पत्र पेश किया प्रतिवकील प्रार्थी को दि जावे। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र मे दिनांक 20-11-25 को पेश हो।
20-11-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार बेगू राजकिय कार्य मे व्यस्त होने से बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 4-12-25 को पेश हो।
4-12-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र मे दिनांक 17-12-25 को पेश हो।
17-12-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 6-1-26 को पेश हो।
6-1-26	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 13-1-26 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड
पीठासीन अधि
रण सख्या 120 / 2025
गला पिता शंभूलाल धा
पु. पति राजेश धाक
वासी किशोरपुरा त
पस्थित :- वि
रिख हुक

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज०
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 120 / 2025

शिमला पिता शंभूलाल धाकड	बनाम	भूमिधारी तहसीलदार बेंगू
हा.मु. पति राजेश धाकड		तह0 बेंगू
निवासी किशोरपुरा तह0 बेंगू		

उपस्थित :- विष्णु चतुर्वेदी
अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार
तहसीलदार बेंगू

दिनांक 13.01.2026

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख म जारी हुए
13.01.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा हनुतिया प.ह.रामपुरिया के खाता संख्या 67 आराजी संख्या 175, 250, 389 / 63, 392 / 187, 393 / 193, 395 / 322, 57, 67, कुल किता –8 कुल रकबा 1.6950 है0 भूमि मे प्रार्थीया के पिता शंभूलाल धाकड की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों कि जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम "शिमला धाकड" के बजाय सीमा गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीया को राजकीय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजों विद्यालय रेकार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थीया का नाम शिमला धाकड अंकित है। अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा हनुतिया प.ह. रामपुरिया के खाता संख्या 67 आराजी संख्या 175, 250, 389 / 63, 392 / 187, 393 / 193, 395 / 322, 57, 67, कुल किता –8 कुल रकबा 1.6950 है0 भूमि मे प्रार्थीया का नाम सीमा के बजाय "शिमला पिता शंभूलाल धाकड" अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पिता शंभूलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा शंभूलाल के वारिसान मे सीमा दर्ज अंकित किया गया वर्तमान भू0 अ0 नि0 तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पर्चा मौका अनुसार प्रार्थीया के दो नाम (अन्य सीमा) होने से रेकार्ड मे सीमा दर्ज हो गया। ग्राम हनुतिया मे सीमा पिता शंभूलाल धाकड नाम से अन्य महिला नही है। उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

प्रकरण मे उभयपक्ष की वहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत सरकारी विभिन्न दस्तावेजों विद्यालय रेकार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासवुक आदि में प्रार्थीया का नाम शिमला धाकड अंकित है। दसवी कक्षा की अंकतालिका मे प्रार्थीया का नाम शिमला धाकड पिता शंभूलाल माता घीसीदेवी है। जो वर्तमान नकल जमांबदी खाता संख्या 67 मे माता पिता के नाम से सिद्ध होता है से प्रार्थीया द्वारा प्रकरण मे प्ररस्तुत शपथ पत्रों मे भी शपथ कर्ताओं ने भी सीमा के वजाय शिमला धाकड किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजों व तहसीलदार वेंगू के जवाव प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थीया का प्रा. पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बेंगू को मौजा हनुतिया प.ह. रामपुरिया के खाता संख्या 67 आराजी संख्या 175, 250, 389/63, 392/187, 393/193, 395/322, 57, 67, कुल किता –8 कुल रकबा 1.6950 है0 भूमि मे प्रार्थीया का नाम सीमा के बजाय सीमा उर्फ "शिमला पिता शंभूलाल धाकड" अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे।
आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2025/39 दिनांक :– 16/1/26

प्रार्थना पत्र संख्या 120/2025 व अनवान शिमला बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट. में आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़